निर्माण, आवास तथा पूर्ति मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री इकबाल सिंह) : (क) और (ख). केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के वालियों का यह कर्तव्य है कि वे सभी सरकारी क्वार्टरों से सम्बद्ध बगीचों तथा मैदानों का अनुरक्षण करें । निर्माण, आवास तथा पूर्ति मंत्रालय के अधिकारियों तथा कर्मचारियों के लिये कोई विशेष व्यवस्था नहीं है ।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

**निर्माण, आवास तथा सम्भरण मंत्रालय के अधिकारियों तथा कर्मचारियों को क्वार्टरों का दिया जाना**

1171 श्री राम चरण : क्या निर्माण, आवास तथा सम्भरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली स्थित उनके मंत्रालय तथा उससे सम्बद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों में काम करने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों के क्वार्टर अन्य मंत्रालयों और कार्यालयों के कर्मचारियों के क्वार्टरों की तुलना में अधिक सुविधाजनक स्थानों पर हैं ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

निर्माण आवास तथा पूर्ति मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री इकबाल सिंह) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

**Fertiliser Factory for Paradeep**

1173. **Shri Sradhakar Supakar:**
**Shri Chintamani Panigrahi:**
**Shri N. R. Laskar:**

Will the Minister of Petroleum and Chemicals be pleased to state:

(a) whether Government are aware of any proposal for setting up of a fertiliser factory in private sector at Paradeep;

(b) if so, the main features thereof;

(c) whether representatives of the British India Development Corporation visited Orissa in this connection recently; and

(d) if so, the findings thereof?

**The Minister of State in the Ministry of Petroleum and Chemicals and of Planning and Social Welfare (Shri Raghu Ramaiah):** (a) No firm proposals have been received so far for the setting up of a fertilizer factory at Paradeep in the private sector.

(b) Does not arise.

(c) Yes..

(d) Their detailed report is awaited.

**Social Welfare**

1176. **Shri P. P. Esthose:** Will the Minister of Social Welfare be pleased to state:

(a) the financial allocation for social welfare in the Third Plan, State-wise; and

(b) the target achieved?

**The Minister of State in the Department of Social Welfare (Shrimati Phulrenu Guha):** (a) State-wise financial allocations in the Third Plan under the Head 'Social Welfare' are as given below:—

| State | Rs. in lakhs |
|---|---|
| 1 | 2 |
| Andhra Pradesh | 83·09 |
| Assam | 19·15 |
| Bihar | 35·24 |
| Gujarat | 38·11 |
| Jammu and Kashmir | 13·69 |
| Kerala | 39·37 |
| Madhya Pradesh | 70·00 |
| Madras | 51·63 |
| Maharashtra | 100·54 |
| Mysore | 30·04 |
| Orissa | 15·55 |
| Punjab | 74·30 |
| Rajasthan | 40·00 |
| Uttar Pradesh | 74·65 |
| West Bengal | 440·10 |
| | 1125·46 |

| 1 | 2 |
|---|---|
| Delhi | 73·65 |
| Himachal Pradesh | 17·00 |
| Manipur | 4·09 |
| Pondicherry | 7·32 |
| Tripura | 10·73 |
| Andaman & Nicobar Islands | 0·10 |
| Grand Total | 1238·30* |

*This includes the amount of Central aid.

(b) Information on achievement of targets, state-wise, is being collected.

### विदेशों को भेजी गई पेंशन तथा ब्याज पर अवमूल्यन का प्रभाव

1175. श्री मृत्युंजय प्रसाद : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि पेंशन तथा ब्याज के रूप में विदेशों को जो राशि भेजी जाती है उसमें गत वर्ष रुपये का अवमूल्यन होने के फलस्वरूप कितने रुपये की वृद्धि हुई है ?

उप-प्रधान मंत्री और वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : रुपये के अवमूल्यन के कारण, विदेशी ऋणों के सम्बन्ध में सरकार द्वारा दिये जाने वाले ब्याज की रकम में, रुपयों के रूप में, 1966-67 में 34.64 करोड़ रुपये की वृद्धि हुई और 1967-68 में यह बढ़ कर 46 करोड़ रुपये हो जायगी। इस सम्बन्ध में लोक सभा में 25 मई, 1967 को, तारांकित प्रश्न संख्या 83 का जो उत्तर दिया गया था उसकी ओर ध्यान दिलाया जाता है ।

जो पेंशनें रुपयों में निर्धारित की गयी हैं और जिनकी अदायगी विदेशों में की जानी होती है उनके सम्बन्ध में अवमूल्यन के कारण अदायगी के रुपया-मूल्य में कोई वृद्धि नहीं होगी; पेंशनों की रकमें समय-समय पर विद्यमान सरकारी विनिमय दरों के अनुसार भेजी जाती है । लेकिन जिन मामलों में पेंशनों की रकमें पौंडों में निर्धारित होती हैं या जिनके लिये विदेशी मुद्रा में परिवर्तित करने की कम से कम दर की गारंटी दी गयी होती है । उनके सम्बन्ध में अवमूल्यन का अदायगी के रुपया-मूल्य पर अवश्य प्रभाव पड़ेगा । विदेशों में दी जाने वाली उन अधिकतर पेंशनों की जिम्मेदारी, जो 31 मार्च, 1955 को जारी थीं, उनके पूंजीकृत मूल्य की अदायगी करके ब्रिटेन की सरकार को अन्तरित कर दी गयी थी । इस तरह अन्तरित की गयी पेंशनों पर अवमूल्यन का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा । इसलिए, विदेशों में दी जाने वाली कुछ ही ऐसी किस्मों की पेंशनें बाकी रहती है, जिनके रुपया-मूल्य में अवमूल्यन के कारण वृद्धि होगी । इस सम्बन्ध में सूचना इकट्ठी करके सभा की मेज पर रख दी जायगी ।

### Consortium of Public Sector Undertakings

1176. **Shri Swell:** Will the Minister of Finance be pleased to state:

(a) whether the Government have taken any decision with regard to the setting up of a Consortium of Public Sector Undertakings;

(b) the scope and functions of the consortium; and

(c) how this organisation will help the industrial production?

**The Deputy Prime Minister and Minister of Finance (Shri Morarji Desai):** (a) to (c). A proposal for setting up Consortia of concerned Public Enterprises to supply equipment or take up other jobs of steel plants and power houses with a view to secure maximum utilisation of industrial capacity is under examination.